उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग-1
संख्या 648 /2024/1665/41-1-2024-92-Budget-2020
लखनऊ दिनांक 10 जुलाई, 2024
संख्या-505/507-41-1-2024-92-बजट-2020 दिनांक 29.03.2024 का
शुद्धि पत्र

महानिदेशक पर्यटन ने अपने पत्र संख्या-1767(1)/6-1-1(1211)/2022-23 दिनांक 01.07.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद वाराणसी के मणिकर्णिका घाट स्थित सतुआ बाबा आश्रम के पर्यटन विकास एवं सौन्दर्गीकरण कार्य हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु शासन को प्रेषित प्रस्ताव में त्रुटिवश मद संख्या-46- वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं का विकास एवं सौन्दर्याकरण के स्थान पर मद संख्या-08-मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास अंकित हो गया था। उक्त के क्रम में पर्यटन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-505/507-41-1-2024-92-बजट-2020 दिनांक 29.03.2024 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 20.00 लाख (रूपये बीस लाख मात्र) की धनराशि मद संख्या-08-मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास के अन्तर्गत प्रदान की गयी थी। तद्क्रम में महानिदेशक पर्यटन द्वारा उक्त त्रुटि को सही करते करते हुए शुद्धि पत्र जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2 अवगत कराना है कि जनपद वाराणसी के मणिकर्णिका घाट स्थित सतुआ बाबा आश्रम के पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यकरण कार्य हेतु पर्यटन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-505/507-41-1-2024-92-बजट-2020 दिनांक 29.03.2024 द्वारा जी०एस०टी० एवं लेबरसेस की धनराशि को छोड़ते हुए चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 20.00 लाख (रूपये बीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति मद संख्या-08-मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से निर्गत की गयी।

3. अतः शासनादेश संख्या-505/507-41-1-2024-92-बजट-2020. दिनांक 29.03.2024 के प्रस्तर-4 में त्रुटिवश मद संख्या-08-मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास के स्थान पर मद संख्या-46- वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं का विकास एवं सौन्दर्गीकरण ही पढ़ा एवं समझा जाय।

तद्नुसार उक्त शासनादेश दिनांक 29.03. अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे। सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः प्रधान महालेखाकार 1.(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2.महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3.महानिदेशक पर्यटन, उ०प्र० लखनऊ।
4.जिलाधिकारी वाराणसी।
5.मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन।
6.प्रबंध निदेशक, उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
7.क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (रा०यो०), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
8.वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9.वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10.उप निदेशक, पर्यटन, वाराणसी/विंध्याचल मण्डल, वाराणसी।
11.गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।